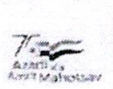




राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com

Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



क्रमांक :- नियोजन/2023/ 1071

दिनांक :- 14/9/2023

कार्यवाही विवरण

ले आउट प्लान स्वीकृत करने बाबत सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13.09.2023 को 03:30 बजे सचिव महोदय के कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. श्री कैलाश चन्द्र, सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
2. श्री मंगत राय सेतिया, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
3. श्री दीपक जांगिड़, सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

बैठक में न्यास स्तर पर विचाराधीन ले आउट प्लान के प्रकरणों का विवरण व निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेण्डा सं. - 01

क्र. स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरक्यू-12, रिद्धि सिद्धि एक्कलेव, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 4/2 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1586 हैक्टे. किला नं. 5 की 0.227 हैक्टे. में से 0.039 हैक्टे. किला नं. 6 की 0.253 हैक्टे. में से 0.0383 हैक्टे. किला नं. 7/2 की 0.194 हैक्टे. में से 0.1762 हैक्टे. किला नं. 14/2 की 0.194 हैक्टे. में से 0.1762 हैक्टे. किला नं. 15 की 0.253 हैक्टे. में से 0.0383 हैक्टे. किला नं. 16 की 0.253 हैक्टे. में से किला नं. 0.0383 हैक्टे. किला नं. 17/2 में 0.194 हैक्टे. में से 0.1762 हैक्टे. किला नं. 24/2 की 0.194 हैक्टे. में से 0.1762 हैक्टे. किला नं. 25 की 0.253 हैक्टे. में से 0.0383 हैक्टे. यथाकुल 1.0505 हैक्टेयर
3	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट	प्रपत्र-6 में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैध है।
4	भूमि का भू-उपयोग 1) मास्टर प्लान वर्ष 2003-2023	वर्तमान में प्रभावी नहीं है।
	2) मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035	आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
5	पहुँच मार्ग की स्थिति 1) मास्टर प्लान अनुसार	आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है।
	2) मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग	आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जो

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



एजेण्डा सं. :- 03

क्र. सं.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरव्यू-12, रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 2/3 की 0.1441 हैक्टे. में से 0.0896 हैक्टे. किला नं. 3/2 की 0.127 हैक्टे में से 0.003 हैक्टे. किला नं. 3/1 में 0.101 हैक्टे. किला नं. 8/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 9/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 12/1 की 0.177 हैक्टे में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 13/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 18/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 19/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 22/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 23/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. यथाकुल 1.0828 हैक्टेयर
3	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट	प्रपत्र-6 में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैध है।
4	भूमि का भू-उपयोग 1) मास्टर प्लान वर्ष 2003-2023	वर्तमान में प्रभावी नहीं है।
	2) मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035	आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
5	पहुँच मार्ग की स्थिति 1) मास्टर प्लान अनुसार	आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है।
	2) मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग	आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जो मौके पर संचालित है।
6	राजस्थान भू-राजस्व अधि.1956 की धारा 90-क	आवेदन संख्या LU2012/SGN/2023-24/100797 दिनांक 09.08.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 11.09.2023 द्वारा 90-ए आदेश जारी है।
7	प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ।
8	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से स्वीकृति का विवरण	आवेदित भूमि का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:60/ले.आ.प्लान/2023/श्रीगंगानगर/920 दिनांक 28.08.2023 द्वारा स्वीकृत है।
9	प्रकरण के मुख्य तथ्य	• आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2017-2035

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशायी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652,

Email :- uit_sgnr@yahoo.com

Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

75
YEARS OF
CELEBRATING
THE PRAJATHA

15

		अनुसार किसी भी सुविधा क्षेत्र में नहीं आता है। - वर्तमान में श्रीगंगानगर मास्टर प्लान 2017-2035 अधिसूचित हो गया है अतः पूर्व मास्टर प्लान 2003-2023 अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। - आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2017-2035 अनुज्ञेय अनुसार एवं मोके पर आवेदित भूमि पहुँचमार्ग होने के क्रम में एवं तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट में आवेदित भूमि के स्वामित्व की पूर्ति के के क्रम में तकनीकी दृष्टि से आगामी कार्यवाही की जा सकती है। - आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जो मौके पर संचालित है। उक्त 60 फीट चौड़ी सड़क मार्गाधिकार को यथावत कायम किये जाने हेतु विकासकर्ता/आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की 13'-6" गुणा 90'-0" फीट भूमि निःशुल्क समर्पित की जानी प्रस्तावित है। - प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व भूमि के स्वामित्व, क्षेत्रफल, सीमाओं एवं प्रस्तावों के अनुसार मौके पर भूमि की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जानी होगी। - प्रकरण में एकीकृत भवन विनियम-2020 के विभिन्न प्रावधानों व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों के अनुरूप आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन इस कार्यालय की तकनीकी अभिशंषा अनुसार किया जाना होगा। आवासीय प्रयोजनार्थ अन्य भवन निर्माण के पैरामीटर्स उपरोक्त के संबंध में प्रचलित नियमों व समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के प्रावधानानुसार होंगे।															
10	योजना के प्रस्तावित ले आउट प्लान में भूमि का वर्गीकरण	<table> <tr> <th>प्रयोजन</th><th>वर्गफीट</th><th>प्रतिशत</th></tr> <tr> <td>आवासीय</td><td>78750.00</td><td>67.60%</td></tr> <tr> <td>इन्फोरमल</td><td>2340.00</td><td>2.01%</td></tr> <tr> <td>सड़क एवं पार्किंग</td><td>35400.00</td><td>30.39%</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>116490.00</td><td>100.00%</td></tr> </table>	प्रयोजन	वर्गफीट	प्रतिशत	आवासीय	78750.00	67.60%	इन्फोरमल	2340.00	2.01%	सड़क एवं पार्किंग	35400.00	30.39%	कुल	116490.00	100.00%
प्रयोजन	वर्गफीट	प्रतिशत															
आवासीय	78750.00	67.60%															
इन्फोरमल	2340.00	2.01%															
सड़क एवं पार्किंग	35400.00	30.39%															
कुल	116490.00	100.00%															
11	अन्य तथ्य	प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टऊनशिप पॉलिसी 2010 तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस															

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिकांशी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

75
Anniversary
1947-2022

15
YEARS OF
CELEBRATING
THE RAJASTHAN

	संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/ परिपत्र/ दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। • योजना में दर्शाये गये भूखण्डों पर सैट बैक्स एवं अन्य सभी मापदण्ड भवन विनियम-2020 के अनुसार रखे जाने होंगे। अनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का निस्तारण टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/ परिपत्रों अनुसार किया जाना होगा। • सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सौरऊर्जा संयंत्र, एल.ई.डी. व अन्य सभी प्रावधान भवन विनियम-2020 के अनुसार कायम किये जाने होंगे। • योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 अनुसार एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचना/ दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना होगा।
--	---

अतः उपरोक्त तथ्यों सहित प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों सहित चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 2/3 की 0.1441 हैक्टे. में से 0.0896 हैक्टे. किला नं. 3/2 की 0.127 हैक्टे. में से 0.003 हैक्टे. किला नं. 3/1 में 0.101 हैक्टे. किला नं. 8/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 9/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 12/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 13/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 18/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 19/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 22/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 23/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. यथाकुल 1.0828 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन उपरोक्त तथ्यों सहित निम्नलिखित शर्तों/बिन्दुओं के अधीन किया जाता है :-

1. वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय बीकानेर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार एवं ले आउट प्लान समिति के निर्णय में वर्णित शर्तों की पूर्ति/पालना हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावे।
2. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा।
नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार किया जाना होगा।


सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


अधिसूचना अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

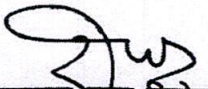
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

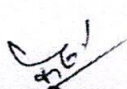
75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

15
YEARS OF
CELEBRATING
THE INDEPENDENCE

4. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णनानुसार 2 हेक्टेयर तक की प्लॉट डवलपमेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त योजना में आवासीय क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल की आरक्षित दर से राशि 90 दिवस में जमा करवाई जानी होगी। उक्त अवधि के पश्चात जमा करवाये जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। (विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36) नविवि/ एन.ए.एच. पी./ 2014 पार्ट दिनांक 04.05.2017)
6. योजना की समस्त सड़के, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।
7. योजना में वेस कवरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।
8. योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
9. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़के, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
10. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
11. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।
12. स्वीकृत योजना में भूखण्डों की संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किये जाने एवं योजना के नामकरण हेतु अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति मय एम्पावर्ड समिति के बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति नियोजन शाखा द्वारा विकासकर्ता/ खातेदार को शर्तों/नियमों की पालना हेतु उपलब्ध करवाई जावे।
13. टऊनशिप पॉलिसी - 2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश/ परिपत्र/ दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।
14. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर का परिपत्र दिनांक 31.12.2020 की पालना में योजना का वैद्य संचालन हेतु प्रदूषण मण्डल की सम्मति, न्यास से अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्राप्त कर प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/ परिपत्रों/ आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
15. प्रस्तावित पार्किंग को यथावत कायम किया जाना होगा।
16. नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट-VIII जयपुर के दिनांक 30.11.2021 अनुसार उक्त लेआउट प्लान स्वीकृत किया जाता है।
17. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टऊनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution


सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


अधिसूची अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

15
YEARS OF
CELEBRATING
THE PAKISTAN

Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु
नवीन प्रावधान लागू होंगे।

18. राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.
4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा
सुनिश्चितता की जानी होगी।


सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


अधिसाक्षी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

क्रमांक:-बीकेजेड/2522:80/ले.आ.प्लान/2023/श्रीगंगानगर/ 920 दिनांक: 28/08/2023

सचिव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर।

विषय :- चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 प्रत्येक पार्ट की यथाकुल 1.0828 हैक्टर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।
संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 939 दिनांक 22.08.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा आवेदक लक्ष्मी वाणिज्यिक प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल की भूमि वाके चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 प्रत्येक पार्ट की यथाकुल 1.0828 हैक्टर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत प्रकरण प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग श्रीगंगानगर मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ प्रावधानित है। आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग मास्टर प्लान की प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क से प्राप्त हो रहा है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में इस कार्यालय द्वारा तकनीकी स्वीकृत आवासीय योजना विद्यमान है। प्रकरण में प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र में रुपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 116490.00 वर्गफीट है, जिसमें आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल 78750.00 वर्गफीट (67.60 प्रतिशत), इनफॉर्मल सैक्टर का क्षेत्रफल 2340.00 वर्गफीट (2.01 प्रतिशत) एवं सड़को व पार्किंग का क्षेत्रफल 35400.00 वर्गफीट (30.39 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान, गूगल इमेजरी, टोटल स्टेशन सर्वे एवं योजना मानचित्र कनिष्ठ प्रारूपकार एवं सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा प्रमाणित हैं।

प्रस्तुत संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा "ए" से "एफ" के अन्तर्गत कुल भूमि 116490.00 वर्गफीट रुपान्तरण योग्य भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिवंशा की जाती है:-

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। प्रकरण में टाऊनशिप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
2. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग मास्टर प्लान की प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क से प्राप्त हो रहा है। सड़क के मध्य से 30 फीट भूमि सड़क प्रयोजनार्थ छोड़ते हुए योजना का क्रियान्वन किया जाना होगा। मास्टर प्लान/जोनल प्लान की सड़को के अलाईन्मेंट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
3. प्रश्नगत योजना के आस-पास अनुमोदित योजनाओं की स्वीकृत सड़कों का प्रश्नगत योजना में यथा संभव मिलान किया जाना निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
4. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर परिषद को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
5. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
6. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाऊनशिप पालिसी 2010 के प्रावधानों के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार किया जावे।

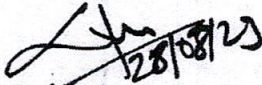
राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

7. आवेदित स्थल में यदि कोई विद्युत लाईन स्थित हैं तो उसे अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा उक्त विद्युत लाईन की क्षमता अनुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप, आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
9. आवेदित योजना क्षेत्र के मध्य यदि कोई सिंचित खाला गुजर रहा हो तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होंगे तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
10. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं है, की सुनिश्चितता निकाय द्वारा की जावे।
11. भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य न्यायिक वाद-विवाद व भू-स्वामित्व की जाँच, आवेदित भूमि किसी प्रतिबंधित भूमि अथवा राजकीय भूमि का भाग प्रकरण हेतु प्राप्त कोई आपत्ति आदि की निकाय स्तर पर सुनिश्चितता की जानी होगी।
12. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावे एवं यदि इस कार्यालय द्वारा तकनीकी राय अनुसार योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा प्रेषित तकनीकी राय को स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

उक्त राय पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आपके कार्यालय की अभिशंका के आधार पर प्रदान की जा रही हैं।

संलग्न : अनुमोदित योजना मानचित्र की दो प्रतियां।

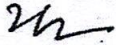
भवदीय



(राकेश मातवा)

वरिष्ठ नगर नियोजक,

बीकानेर जोन, बीकानेर



MASTER PLAN ROAD 60' WIDE

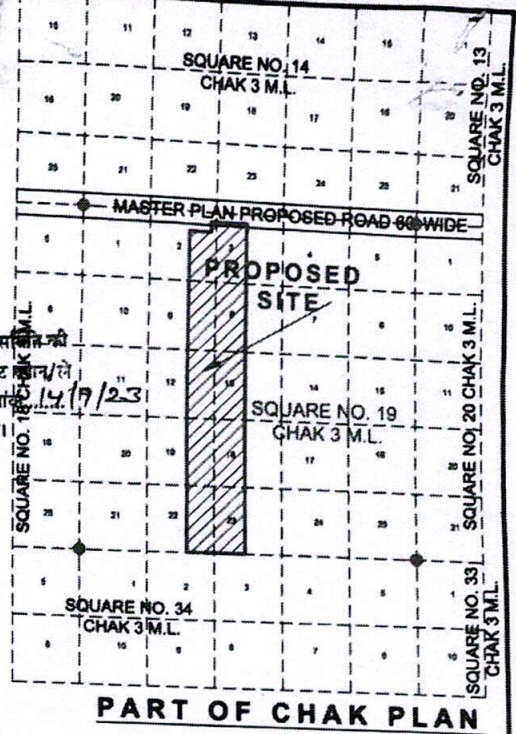
SQUARE NO. 19 CHAK 3 M.L.

ROAD 40' WIDE

PLOTS 30'-0" X 55'-0"

PLOTS 30'-0" X 50'-0"

न्यास स्तर पर त्रुटित ले आउट प्लान सही कर
बैठक दिनांक 13/12/23 में साईट वीन/ले
आउट प्लान पराक 1071 दिनांक 14/7/23
द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया गया।



REFERENCE :-

1. SCHEME AREA SHOWN THUS :-
2. KILLA LINE SHOWN THUS :-
3. SQUARE POINT SHOWN THUS :-
4. SCHEME AREA :- 116490.00 Sq.Ft. OR 1.0828 Hect.
5. SCALE 1" = 64'
6. OWNER :-

LAND USE & AREA ANALYSIS
CHECKED BY:

LAND USE ANALYSIS :-

TOTAL LAND 116490.00 Sq. Ft.

S. NO.	PARTICULAR	AREA IN Sq.ft.	%TAGE
1	RESIDENTIAL	78750.00 Sq.ft.	67.60 %
2	INFORMAL	2340.00 Sq.ft.	2.01 %
3	ROAD & PARKING	35400.00 Sq.ft.	30.39 %
	TOTAL	116490.00 Sq. Ft.	100.00 %

कनिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर

सहायक नगर निबंधक
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

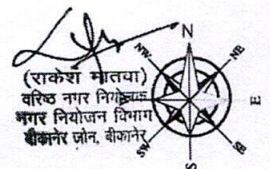
1. सेंट्रल मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे जावें।
2. एच.टी. लाइन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावें।
3. भूमि के मोके पर माप, दू-स्थानित एवं न्यायिक बाद की जांच निकाय स्तर पर की जानी होगी।
4. समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र निकाय में निहित होंगे।
5. सुविधा क्षेत्रों का निस्तारण/क्रियान्वयन राजस्थान लोकनियमन पोलिसी-2010 के अनुसार किया जावें।
6. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व मोके पर एडिच मार्ग की सुनिश्चिता की जानी होगी।
7. स्वीकृत योजना में मुख्यण्ड संख्या का अंकन आवश्यक रूप से किया जावें।

LAYOUT PLAN ~~FOR TECHNICAL~~ APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE
LETTER NO. 920 DATED 28/08/2023

1 सहायक नगर निबंधक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
अधिसाणी अधियन्ता, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

(सहायक नगर निबंधक)
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

(मनीष कुमार)
सहायक नगर निबंधक
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)



LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 2,3,8,9,12,13,18,19,22,23(EACH PART)
SQUARE NO. 19 CHAK 3 M.L. Teh. & Dist. SRI GANGANAGAR



क्रमांक :- नियोजन/2023/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

स्वातेदार/विकासकर्ता भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरक्यू-12, रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 2/3 की 0.1441 हैक्टे. में से 0.0896 हैक्टे. किला नं. 3/2 की 0.127 हैक्टे. में से 0.003 हैक्टे. किला नं. 3/1 में 0.101 हैक्टे. किला नं. 8/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 9/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 12/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 13/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 18/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. किला नं. 19/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 22/1 की 0.177 हैक्टे. में से 0.1073 हैक्टे. किला नं. 23/1 की 0.118 हैक्टे. में से 0.115 हैक्टे. यथाकुल 1.0828 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आवेदन संख्या LU2012/SGN/2023-24/100797 दिनांक 09.08.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 11.09.2023 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। आवेदित भूमि का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:60/ले.आ. प्लान/2023/श्रीगंगानगर/920 दिनांक 28.08.2023 द्वारा स्वीकृत है एवं न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13.09.2023 द्वारा अनुमोदित है। उक्त योजना का नाम "रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव-2 सैक्टर-12" रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (लेखाशाखा की गणनानुसार) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 10,82,230/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 2,16,446/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 8,65,784/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 16,34,774/- रुपये एवं बीएसयूपी फंड राशि 1,88,338/- रुपये यथाकुल राशि 26,88,896/- रुपये जरिये रसीद संख्या 97/1697 दिनांक 18.09.2023 एवं 08/1698 दिनांक 20.09.2023 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

स्वातेदार द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड, (भूखण्ड संख्या O-26 to O-33 Each Size 30'-0"X50'-0" and 02 Informal Each size 26'-0"X45'-0" Total 08 Resi. Plot and 02 Informal) न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत विकासकर्ता/स्वातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व विकासकर्ता/स्वातेदार भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरक्यू-12, रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा प्रस्तुत अण्डरटैकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क (लाईट, झुले, बैच, घास, पेड़-पौधे आदि), होटिकल्चर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनाईजर्स/स्वातेदार को स्वयं के खर्च पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऑवर हैड वाटर टैंक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरेज का कार्य स्वयं स्वातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।
- योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत स्वातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेंगे।
- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छेड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
- आवेदित भूमि को उत्तर-पश्चिम दिशा कॉर्नर से मौके पर विद्यमान पदमपुर रोड जो मास्टर प्लान में 60 फीट रोड प्रस्तावित है, जो मौके पर टी एस सर्वे अनुसार है, से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़क अलाईन्मेन्ट व मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की मांग नहीं करेंगे इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।
- आवेदित भूमि में से गुजर रहे खाले के संबंध में नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए अथवा खाले के उपर से आवागमन हेतु आवश्यक पुल के निर्माण की संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर समस्त उत्तरदायित्व/सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगे।
- आवेदित भूमि के मध्य से गुजर रही विद्युत लाईन से नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेवारी हमारी स्वयं की होगी।



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



8. योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड माप Informal Size 2340.00 वर्गफीट का निष्पादन टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार किया जाना होगा।
9. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
10. अनुमोदित योजना मानचित्र में पार्क/सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित करते हैं।
11. राजस्थान टाउनशिप पोलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंसा एवं कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टैकिंग के अनुसार (भूखण्ड संख्या O-26 to O-33 Each Size 30'-0"X50'-0" and 02 Informal Each size 26'-0"X45'-0" Total 08 Resi. Plot and 02 Informal) नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेंगे। कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यों के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगा।
12. योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होगा।
13. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।
14. योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
15. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़कें, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
16. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
17. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/आदेशानुसार किया जाना होगा।
18. टाउनशिप पोलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।
19. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविदि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पोलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगे।
20. राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा सुनिश्चितता की जानी होगी।

सचिव,

नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त सभी शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई हैं, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

सहमती हस्ताक्षर

(खातेदार/कॉलोनाईजर्स)

दिनांक :- 21/9/2023

क्रमांक :- नियोजन/2023/ 2010

प्रतिलिपि :-

1. खातेदार/विकासकर्ता भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरक्यू-12, रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर (राज.)
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव,

नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

वडी अक ~~असो~~ असो 18/9/23 अ 21/12/23
HDFC
25692471

U.I.T. Form 4 (See Rule 50)

Book No. 1097



URBAN IMPROVEMENT TRUST

SRI GANGANAGAR-335001 (Raj.)

Dated 18-9-23

Received from Shri

महि लाल बाबिया हा. लि.

a sum of Rs. (In words)

पन्नीक लाख इकहण्डाई दो - सौ - पचास -

on account of

3 ML रु. 20.19 किंवा 2.21, 312, 3112

for the period

बट्टा बिलीयन - 1082230

in full payment of

Demand slip No.

20-192 = 512164

Rs. 25692471

865784

+ 1515122

Cashier 88338

Head of Office

25692471

प्रातशत

RECEIPT No.

08

U.I.T. Form 4 (See Rule 50)



URBAN IMPROVEMENT TRUST

SRI GANGANAGAR-335001 (Raj.)

Received from Shri

a sum of Rs. (In words)

on account of

for the period

Demand slip No.

Dated 20-9-23

in full payment of

Dated

Rs.

Cashier

Head of Office

Book No.

1698

H/o Badi Chaur 20/9/23

1196521-25

1196521